

राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति, एनएचएम
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ
स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

NO.F.20(254)/NHM/HRD/PIP 2024-26/CHO/2024/ 571

Date: 19/6/24

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति

भारत सरकार से स्वीकृत पीआईपी वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में FMR code HSS.9/HRH/S.N.187/Renumeration for CHOs के अंतर्गत प्राप्त बजट स्वीकृति अनुसार संविदा सीएचओ पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में रु 39474.67 लाख (In words:Rupees Three Hundred Ninety Four Crore Seventy Four Lakh and Sixty Seven Thousand) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु. 48362.63 लाख (In words:Rupees Four Hundred Eighty Three Crore Sixty Two Lakh and Sixty Three Thousand) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, जिला स्वास्थ्य समितियों को एतद द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्णित स्वीकृति में संविदा कार्मिकों के मानदेय भुगतान हेतु आवंटित राशि की अधिकतम सीमा अंकित है। जिलेवार आवंटन निम्नानुसार है:-

(Amount Lumpsum in Lakh)				
S.No.	Name of District Health Society	Total No.of Sanctioned Staff / Units	Sanctioned Amount For FY 2024-25	Sanctioned Amount For FY 2025-26
1	Ajmer	185	601.32	639.26
2	Alwar	383	1080.66	1273.30
3	Anupgarh	181	418.88	573.70
4	Balotra	351	855.32	1125.67
5	Banswara	500	1398.91	1658.64
6	Barmer	501	1247.81	1614.96
7	Baran	293	832.69	975.91
8	Beawar	243	582.71	776.43
9	Bharatpur	237	633.72	777.23
10	Bhilwara	329	912.63	1088.99
11	Bikaner	449	1128.70	1450.52
12	Bundi	218	657.59	737.72
13	Chittorgarh	400	1014.22	1294.88
14	Churu	466	1219.82	1520.22
15	Dausa	348	930.00	1141.09
16	Deedwana-Kuchaman	412	1119.48	1356.57
17	Deeg	197	519.39	643.80
18	Dholpur	252	680.16	828.35
19	Dudu	84	229.19	276.87
20	Dungarpur	395	1052.67	1294.31
21	Gangapur City	184	449.96	590.58
22	Hanumangarh	379	948.99	1223.24
23	Jaipur (Jaipur-I)	255	733.44	852.01
24	Jaipur Rural (Jaipur-II)	223	650.87	747.98

RajKoj Ref
7740491

Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Designation: Mission Director
Date: 2024.06.11 13:31:01 IST
Reason: Approved

25	Jaisalmer	185	435.29	588.56
26	Jalore	218	556.07	706.72
27	Jhalawar	336	874.45	1094.57
28	Jhunjhunu	461	1265.68	1521.90
29	Jodhpur	0	0.00	0.00
30	Jodhpur Rural	500	1417.94	1664.45
31	Karauli	207	649.77	708.24
32	Kekri	173	482.32	573.37
33	Khertal-Tijara	220	613.45	729.17
34	Kota	221	625.21	735.23
35	Kotputli-Behror	267	705.45	873.02
36	Nagaur	406	1088.00	1332.18
37	Neem Ka Thana	368	908.37	1183.74
38	Pali	363	952.12	1184.79
39	Phalodi	244	620.91	790.56
40	Pratapgarh	248	687.02	820.60
41	Rajsamand	276	643.21	876.18
42	Salumber	175	395.87	551.90
43	Santhor	210	599.41	700.25
44	Sawai Madhopur	199	555.62	659.79
45	Sahapura	189	540.52	630.55
46	Sikar	487	1397.15	1626.09
47	Sirohi	232	552.67	740.17
48	Sri Ganganagar	281	669.26	896.45
49	Tonk	277	840.05	938.75
50	Udaipur	534	1499.73	1773.17
Total		14742	39474.67	48362.63

उक्त व्यय NHM Flexible pool में उपलब्ध वित्तीय सीमा एवं एफएमआर में सम्बंधित बजट मद में बुक किया जान सुनिश्चित करें।

स्वीकृत मानव संसाधनों के मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में निम्नलिखित आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे :-

1. उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में मानदेय के साथ कार्यरत कार्मिकों हेतु 05 प्रतिशत मानदेय अभिवृद्धि का बजट भी सम्मिलित है किन्तु कार्मिकों के वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि के संबंध में दिशानिर्देश/आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।
2. कार्यरत संविदा कार्मिकों को स्वीकृत मासिक मानदेय दर से अधिक राशि का भुगतान किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे अन्यथा जिले में किसी भी संविदा कार्मिक को किये गये अधिक भुगतान के लिये संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिशः जिम्मेदार होंगे।
3. किसी भी नवनियुक्त संविदा कार्मिक को संबंधित केडर के लिये निर्धारित मूल मानदेय, टैम भदवतंतपनउद्ध की दर से ही भुगतान किया जावे तथा उसकी कार्यग्रहण तिथि से आगामी 1 वर्ष तक किसी भी प्रकार की मानदेय वृद्धि स्वीकृत नहीं की जावे।
4. संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को अतिरिक्त बजट की आवश्यकता होने पर औचित्यपूर्ण प्रस्ताव के साथ स्टेट हेल्थ सोसायटी को प्रेषित करना होगा।

RajKaj Ref
7740491

Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar
Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.06.11 13:31:01 IST
Reason: Approved

5. यदि संबंधित जिले को जारी स्वीकृति में उल्लेखित किसी केडर के कार्यरत कार्मिकों के स्वीकृत पदों की संख्या में रिलोकेशन अथवा किसी अन्य कारण से बढ़ोतरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त कार्मिक के पूर्व सम्बन्धित जिले से अंतिम मानदेय भुगतान का प्रमाणपत्र प्राप्त कर तदनुसार भुगतान की कार्यवाही संपादित करें।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
मिशन निदेशक एनएचएम
एवं विशिष्ट शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव चि० एवं स्वा० विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, जिला कलक्टर, संबंधित जिले।
- 5 निजी सहायक, परियोजना निदेशक, एनएचएम, जयपुर
- 6 निदेशक (जन स्वास्थ्य/आरसीएच) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
- 7 निदेशक (वित्त) एनएचएम जयपुर।
- 8 परियोजना निदेशक-आयुष्मान आरोग्य मंदिर, एनएचएम मुख्यालय जयपुर।
- 9 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम।
- 10 राज्य नोडल अधिकारी-एचआर, एनएचएम जयपुर।
- 11 संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, संबंधित जिले, राजस्थान।
- 12 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित जिला।
- 13 जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम संबंधित जिले।
- 14 प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते ई-मेल।
- 15 रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7740491

Signature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar
Soni
Designation : Mission Director
Date: 2024.06.14 13:31:01 IST
Reason: Approved